

## सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3,फ्लैट नं-304,ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्टी, अलीगढ़-202001,द्वारा 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी0ई0-04 पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या जी0आई0-100 / 14-02-2005-61 / 2006 दिनांक 23.02.2006 तथा भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या एफ0सी0-11-9 / 98 दिनांक 21.09.2005 के निर्देशों के अनुपालन एवं निम्न प्रतिबन्धों पर सहमति दी जाती है -

1. भूमि के उपयोग के बाद, उसके मूल स्वरूप में लाने का उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3,फ्लैट नं-304, ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्टी, अलीगढ़-202001,का होगा ।
- 2.. इस कार्य से वन सम्पदा/पर्यावरण की यदि कोई क्षति होती है तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3,फ्लैट नं-304,ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्टीए अलीगढ़ -202001,द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी ।
3. भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।
4. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं वन विभाग द्वारा राजकीय हित में लिये गये निर्णय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3,फ्लैट नं-304,ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्टीए अलीगढ़ -202001,को स्वीकार होंगा ।
5. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम), उत्तरी क्षेत्र-3,फ्लैट नं-304,ब्लाक-डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट-क्वार्टीए अलीगढ़ -202001द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।
6. समस्त कार्य अनुमति प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण करने होंगे ।

दिनांक : १५.०१.१४

स्थान : अलीगढ़

S.K.Singh  
15.01.14

S. K. Singh  
D.G.M.  
Powergrid, Aligarh